राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
कानाराम बनाम् गणेशाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 204 D/2021

वादीगण–

1. कानाराम पुत्र गणेशाराम
   जाति– जाट निवासी–खिंयाला ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गणेशाराम पुत्र निम्बाराम
2. मनीराम पुत्र गणेशाराम
3. बलदेवराम पुत्र गणेशाराम
4. रूपा देवी पुत्री गणेशाराम
5. सोहनी पुत्री गणेशाराम
6. हणुताराम पुत्र निम्बाराम
7. रामनिवास पुत्र निम्बाराम
8. चूका देवी पुत्री निम्बाराम
9. मोहनी पुत्री निम्बाराम
10. लिछमा देवी पुत्री निम्बाराम
    जातियान–जाट निवासीगण–खिंयाला ,तहसील जायल (नागौर)
11. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 25/10/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश

25/10/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा खिंयाला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1547 रकबा 2.3229 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम के नाम खेत खसरा नंबर 1278 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1765/2129 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा , खसरा नंबर 18 रकबा 1.9830 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2065 में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से छ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। नजरीनक्शा वाद पत्र का अभिन्न भाग है। वादी कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1547 रकबा 2.3229 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 1.2505 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1765/2129 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1278 रकबा 1.7806 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 बलदेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 1.9830 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 6 हणुताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व 8 से 10 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है तथा प्रतिवादी संख्या 7 रामनिवास के अलग भूमि आने से इन खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने दिनांक 25.10.2021 को उपस्थित कैम्प कोर्ट शिविर ग्राम पंचायत खियाला प्रशासन गांवों के संग अभियान में होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 11 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

[illegible] पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह कानाराम पुत्र गणेशाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम खिंयाला तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 175 प्रदर्श–1, खाता संख्या 173 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी ग्राम खिंयाला तहसील–जायल सम्वत् 2065–2068 खाता संख्या 135 प्रदर्श–3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा, साक्ष्य शपथ पत्र व सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 25.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 25.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा खिंयाला के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 1547, 1765/2129, 1278, 18 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 1600 माफिक राजीनामा एवं सहमति से बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है लेकिन पक्षकारान् के मध्य बंट हेतु खेताय का सहमति से विभाजित किया नजरीनक्शा संलग्न है जो वाद का अभिन्न अंग है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व 7 से 10 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि होने के संबंध में साक्ष्य सबूत पेश किया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 व 5 व 7 से 10 का नियमानुसार हक तर्क से स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा खिंयाला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1547, 1765/2129, 1278, 18, 1600 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रवितादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
कानाराम बनाम् गणेशाराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1547, 1765/2129, 1278, 18, 1600 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रवितादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1547 रकबा 2.3229 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 1.2505 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1765/2129 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1278 रकबा 1.7806 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बलदेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 1.9830 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 6 हणुंताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तथा 7 से 10 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये इन प्रतिवादीगण का नियमानुसार जरिये तर्क स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद /2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
कानाराम बनाम् गणेशाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 205/17/2021

वादीगण–
1. कानाराम पुत्र गणेशराम , जाति– जाट निवासी–खिंयाला ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. गणेशाराम पुत्र निम्बाराम
2. मनीराम पुत्र गणेशाराम
3. बलदेवराम पुत्र गणेशाराम
4. रूपा देवी पुत्री गणेशाराम
5. सोहनी पुत्री गणेशाराम
6. हणुताराम पुत्र निम्बाराम
7. रामनिवास पुत्र निम्बाराम
8. चूका देवी पुत्री निम्बाराम
9. मोहनी पुत्री निम्बाराम
10. लिछमा देवी पुत्री निम्बाराम, जातियान–जाट निवासीगण–खिंयाला ,तहसील जायल (नागौर)
11. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 10 श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 11 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खिंयाला तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1547, 1765/2129, 1278, 18, 1600 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रवितादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी कानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1547 रकबा 2.3229 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 1.2505 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

25/10/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 गणेशाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1765/2129 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1278 रकबा 1.7806 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 बलदेवराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 18 रकबा 1.9830 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 6 हणुताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1600 रकबा 2.5010 हैक्टेयर में से 0.62525 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तथा 7 से 10 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये इन प्रतिवादीगण का नियमानुसार जरिये तर्क स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner